

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 पूनरास

अनुवान बीरबलराम पारीक बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 389./2025

निर्णय दिनांक .....19/09/25.....

बीरबल राम पारीक पुत्र ठाकर मल पारीक जाति ब्राह्मण निवासी महेन्द्रवास तहसील तारानगर जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

-:निर्णय:-

प्रार्थी द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 पूनरास में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 152 के ख.नं. 1 तादादी 21.9391 हैक्ट., ख.नं. 19 तादादी 5.9179 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम महेन्द्रवास तारानगर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम बीरबलराम पुत्र ठाकुरराम एवं बीरबल राम पारीक पुत्र ठाकरमल पारीक दर्ज है जो कि गलत है सही नाम बीरबल राम पारीक पुत्र ठाकर मल पारीक है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम बीरबल राम पारीक पुत्र ठाकर मल पारीक किये जाने की अभिशंका की है।

अतः रोही ग्राम महेन्द्रवास तारानगर के खाता संख्या 152 के ख.नं. 1 तादादी 21.9391 हैक्ट., ख.नं. 19 तादादी 5.9179 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम बीरबलराम पुत्र ठाकुरराम एवं बीरबल राम पारीक पुत्र ठाकरमल पारीक Delete कर इसके स्थान पर बीरबल राम पारीक पुत्र ठाकर मल पारीक अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैंसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/9/25 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 पूनरास में लिखाया जाकर सुनाया गया।



*Rajendra Kumar*  
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूरु)